न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/44/2023

रामरती पत्नि मदनलाल जाति धीमर निवासी बयानागेट कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।
..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर ..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 16.08.2023

रामरती पत्नि मदनलाल जाति धीमर निवासी बयानागेट कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह अपील, लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 565 दिनांक 03.08.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के पत्रांक पी.ए./आरटीआई/2023/2300 दिनांक 07.08.2023 से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया कि "अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्रावली संख्या 163/1991 को कार्यालय के रिकार्ड में तलाश कराया गया, काफी तलाशने के उपरान्त भी उक्त पत्रावली कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हो पाई, वांछित रिकार्ड वर्ष 1991 का लगभग 32 वर्ष पुराना है। पत्रावली संख्या 163/1991 कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध्ध नहीं हो पाने पर, अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक

2259 दिनांक 05.07.2023 से पत्रावली तलाश करने व उपलब्ध होने पर वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया गया है।''

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से स्पष्ट होता है कि चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली सं0 163/1991 काफी तलाश करने के उपरान्त भी नहीं मिल पाई है, जिसे कार्यालय में राजस्व लिपिक/रिकार्ड कीपर द्वारा तलाश की जा रही है, साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली की तलाश हेतु जिला अभिलेखागार, किशोरी महल किला भरतपुर को भी पत्रांक 2278 दिनांक 04.08.2023 से लिखा गया है। उक्त पत्रों से स्पष्ट है कि सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के स्तर पर लम्बित है एवं अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नकल प्रावधानानुसार तय समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पत्रावली सं0 163/1991 शीघ्र तलाश कर चाही गई सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर